न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 03/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— जितेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत विासी रोड़ नम्बर 12, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

———अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान राज्य।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.05.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 18.12.14 जिसमें अपीलांट का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष दिनांक 21.6.12 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ, पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सुरक्षा) राज. जयपुर, उप वन संरक्षक, इगानप, हनुमानगढ, उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ एवं तहसीलदार, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.8.12 में ''यदि आवेदक को नया शस्त्र लाईसेंस दिया जाता है तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है।'' की टिप्पणी की गई। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से पुनः विस्तृत रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.10.14 में ''नया शस्त्र लाईसेंस दिये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है।'' की टिप्पणी की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की उक्त रिपोर्ट एवं गृह विभाग भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.3.10 की शर्तें पूर्ण नहीं होने आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2014 से अपीलांट का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस पर अनुचित दबाव बना कर दुबारा जांच रिपोर्ट ली, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.10.14 में "नया शस्त्र लाईसेंस दिये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है।" की टिप्पणी को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 21.8.12 में आवेदक को शस्त्र लाईसेंस दिये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होने का तथ्य अंकित है। दोनों जांच रिपोर्ट में जांच के जिन बिन्दुओं पर अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण जेरकार होना नहीं पाया गया। उन्हीं बिन्दुओं पर पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.10.14 में अनुशंषा नहीं किये जाने का कथन किया है, जो प्रशासन के संदिग्ध व अनुचित दबाव को दर्शाता है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सुरक्षा) राज. जयपुर, उप वन संरक्षक, इगानप, हनुमानगढ, उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ एवं तहसीलदार, हनुमानगढ से रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अपीलांट के विरूद्ध आदेश जेर अपील पारित किया है तथा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी समुचित अवसर नहीं दिया गया है। व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 01.12.2014 को अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था, तत्पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि पत्रावली में आगे जो भी प्रगति होगी आपको जरिये डाक सूचना दी जायेगी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जेर अपील की जानकारी अपीलांट को कभी भी नहीं दी गई। अपीलांट के शांतिप्रिय एवं कानून का सम्मान करने वाला नागरिक है। अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों से भलीभांति परिचित है। अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण ना तो दर्ज हुआ ना ही विचाराधीन है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 13.10.14 में "नया शस्त्र लाईसेंस दिये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है" की टिप्पणी के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा व्यापक लोक शांति और कानून व्यवस्था के मध्यनजर जिला जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट एवं गृह विभाग के परिपत्र एवं शस्त्र अधिनियम 1959 में दिये प्रावधानों

के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का भी ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने वरवक्त बहस जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ द्वारा प्रेषित की गई दो विरोधाभाषी रिपोर्ट दिनांक 21.8.12 एवं दिनांक 13.10.14 की ओर आकृष्ट करते हुए अपीलाधीन आदेश को अनुचित दबाव में पारित किया जाना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि जिन बिन्दुओं को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने दिनांक 21.8.14 को रिपोर्ट में अपीलांट को नया शस्त्र लाईसेंस दिये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है, उन्हीं बिन्दुओं पर रिपोर्ट सकारात्मक है परन्तु उस पर की गई अंतिम टिप्पणी "नया लाईसेंस दिये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है" अनुचित है। पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होना या विचाराधीन होना नहीं पाया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करते से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अपीलांट को बुलाया गया, परन्तु आदेश नहीं सुनाया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश सुनाने से पूर्व अपीलांट को कमी–पूर्ति हेतु साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट के अलावा पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सुरक्षा) राज. जयपुर, उप वन संरक्षक, इगानप, हनुमानगढ, उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ एवं तहसीलदार, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई, जिसमें भी अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं आई है।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये शस्त्र नियम 2016 के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए पुनः विधि सम्मत एवं युक्तियुक्त आदेश पारित करें।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर